संख्या-23 /2026/3566/26-3-2025-1996476

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 फरवरी 2026

विषयः- जनपद बहराइच में राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास (50 छात्र क्षमता) का निर्माण कराये जाने प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-280/ज0जा0वि0/697400/2025-26, दिनांक 29-12-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद बहराइच में राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास (50 छात्र क्षमता) का निर्माण कराये जाने हेतु आगणित धनराशि रू0 396.92 लाख की कार्ययोजना उपलब्ध कराते हुये आगणित रू0 396.92 लाख में से 5 प्रतिशत धनराशि रू0 19.85 लाख रोकते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 377.07 लाख (रू0 तीन करोड सतहत्तर लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने तथा कार्यदायी संस्था नामित करने का अनुरोध किया गया।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बहराइच में राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास (50 छात्र क्षमता) का निर्माण कराये जाने हेतु आगणित धनराशि रू0 396.92 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **प्रथम किश्त के रूप में रू0 318.14 लाख (रू0 तीन करोड़ अट्ठारह लाख चौदह हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडको के प्रबन्ध निदेशक से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है, तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/ दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में निहित शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, जनजाति विकास विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, जनजाति विकास एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्ट चार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्थार/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशालय, जनजाति विकास विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप निर्गत किया जाएगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु विभागीय अप्रेजल कमेटी द्वारा संस्तुत मूल्यांकित धनराशि एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(11) प्रायोजना की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था/निदेशक जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रेषित मांग एवं अभिलेखों के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। अतः यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे एवं अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि की मांग प्रस्तुत करते समय परियोजना की टेण्डर लागत, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, संविदा से सम्बन्धित मूल (MOU), तकनीकी स्वीकृति आदि अभिलेख कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(13) प्रायोजना में स्वीकृत कार्यों/लागत से विचलन की दशा में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त 2014 में अंकित प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 318.14 लाख (रू0 तीन करोड अठारह लाख चौदह हजार मात्र** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के मुख्य लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05-अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/ बी-1-352 / दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 09-02-2026
16:43:17

(चन्द्र कुमार मिश्रा)
अनु सचिव

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच।
5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।